कार्यालय एन०आर०ई०जी०एस० सेल
सहायक आयुक्त (एन०आर०ई०जी०एस०)
प्राप्त दिनांक
क्रमांक 1914
निर्गत तिथि 24/12/2009

कोर्ट केस / सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या–4362 / 38–7–2009–14(रिट) / 09

18-12-9
9270/PA/CDO/09
21-12-09

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

लखनऊः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2009

सहायक आयुक्त (NREGA) / OSD (Law)

विषयः–मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका(सिविल) संख्या–(एस)8519 / 06 यूनियन आफ इण्डिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 29–09–2009 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह(पुलिस) अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–एस0सी0–03 / छः–पु0–9–09–31(15टी0) / 2009, दिनांकः 29–10–2009 के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका(सिविल) संख्या– (एस)8519 / 06 यूनियन आफ इण्डिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 29–09–2009 के अनुपालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांकः 29–10–2009 के प्रस्तर–2(ii) में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है:–

18.12.2009
आयुक्त
ग्राम्य विकास उ०प्र०

"विभिन्न विभागों तथा उनकी अधिकारिता में आने वाले सरकारी एवं अर्द्धसरकारी निकाय / अथारिटी / निगम / उपकम आदि की प्रदेश के शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक भूमि पर भविष्य में कोई अनधिकृत निर्माण न हो, इसके लिए सार्वजनिक भूमि से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव एवं विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। वे प्रश्नगत सार्वजनिक भूमि पर प्रश्नगत श्रेणी के निर्माण कार्य रोकने के विषय में सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल समुचित निर्देश निर्गत करेंगे।"

2– इस संबंध में आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप कृपया शासनादेश दिनांकः 29–10–2009 में निहित निर्देशानुसार तत्काल यह सुनिश्चित करायें कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक भूमि पर सरकारी एवं अर्द्धसरकारी निकाय / अथारिटी / निगम / उपकरण आदि का भविष्य में कोई अनधिकृत निर्माण न हो। यदि इन निर्देशों का अनुपालन करने में आपके स्तर पर किसी प्रकार की शिथिलता बरती जायेगी तो इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

प्रो० नवीना
23/12/09

कृपया शासनादेश दिनांकः 29–10–2009 में निहित उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए संलग्न प्रारूप पर सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास को विलम्बतम दिनांकः 21–12–2009 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव।

Enrega 09 doc

संख्या– 4302 (1)/38–7–2009 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का समन्वय कर समेकित रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर शासन को दिनांकः 22–12–2009 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

संलग्नक

दिनांक 18.12.2009 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक हेतु विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0-(एस) 8519/2006 यूनियन आफ इण्डिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में पारित किए गये निर्णय दिनांक 29.09.2009 के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-एस0सी0-03/छः-पु0-9-09-31(15टी0)/2009 दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 के विषय में की गयी कार्यवाही/प्रगति का विवरण

1- विभाग का नाम :

2- विभागाध्यक्षों का विवरण :

क्रमांक	विभागाध्यक्ष का नाम/पद नाम	कार्यालय का पूरा पता	कार्यालय/आवास का दूरभाष	अन्य विवरण

3- शासनादेश के प्रस्तर 2(ii) के संबंध में विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव स्तर से की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण (निर्गत किए गये निर्देशों की प्रति सहित) :

4- शासनादेश के प्रस्तर-2 (iii) के संबंध में विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव स्तर से की गयी कार्यवाही का विवरण (निर्देशों/नोडल अधिकारियों की सूची सहित) :

5- विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षों द्वारा शासनादेश के प्रस्तर-2(ii) के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण (निर्गत किए गये निर्देशों की प्रति सहित) :

6- विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षों द्वारा शासनादेश के प्रस्तर-2(iii) के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण (निर्देशों/नोडल अधिकारियों की सूची सहित) :

7- विभाग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक गलियों/मार्गों, सार्वजनिक पार्कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर दिनांक 29.9.09 (मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश की तिथि) के बाद धार्मिक प्रकृति का कोई अनधिकृत निर्माण किए जाने की सूचना तो विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को प्राप्त नहीं हुई है? यदि प्राप्त हुई है तो उसका पूर्ण विवरण तथा की गयी कार्यवाही की सुस्पष्ट सूचना दी जाये।

8- विभाग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक गलियों/मार्गों, सार्वजनिक पार्कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर दिनांक 29.9.09 (मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश की तिथि) से पूर्व हुए धार्मिक प्रकृति के ऐसे अनधिकृत निर्माणों का जनपदवार/मण्डलवार विवरण जो शासनादेश द्वारा निर्दिष्ट चिन्हांकन की कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये :

क्रमांक	मण्डल	जनपद	अनधिकृत निर्माणों की संख्या	अभ्युक्ति

9- अन्य उल्लेखनीय तथ्य (यदि कोई हो) :

नाम/पदनाम सहित सदिनांक हस्ताक्षर (मुहर सहित)